सार्वजनिक सूचना

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति
(पीएसीएल लि. के मामले से संबंधित)

पीएसीएल लि. की संपत्तियाँ खरीदने और/या उनमें लेनदेन करने के इच्छुक खरीदारों / आम निवेशकों / आम जनता को पीएसीएल लि. की संपत्तियाँ खरीदने और/या उनमें लेनदेन करने के संबंध में आगाह करना

1. आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, सिविल अपील सं. 13301/2015 [जो सुब्रत भट्टाचार्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और दूसरे संबंधित मामलों से संबंधित थी] के संबंध में पारित किए गए तारीख 2 फरवरी, 2016 के आदेश का पालन करते हुए, सेबी द्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा (भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति) की अध्यक्षता में एक समिति (इसका उल्लेख यहाँ आगे "**समिति**" के रूप में किया गया है) का गठन किया गया था, ताकि पीएसीएल लि. की संपत्तियों की बिक्री आदि की जा सके और बिक्री से मिलने वाले पैसों (सेल प्रोसीड्स) से निवेशकों को भुगतान किया जा सके ।

2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जब्त की गई पीएसीएल लि. की संपत्तियों के दस्तावेज भी समिति को सौंप दिए गए हैं, जिनकी सूची समिति के वेबसाइट (अर्थात् www.sebipaclauctionl.com और www.sebipaclproperties.com) पर दी हुई है ।

3. इस संबंध में, यह फिर से सूचित किया जाता है कि तारीख 2 फरवरी, 2016 के उपरोक्त आदेश के अनुसार, पीएसीएल लि. की संपत्तियों की या उन संपत्तियों की बिक्री करने के लिए केवल समिति को ही प्राधिकृत किया गया है जिनमें पीएसीएल लि. या उसके सहयोगियों (एसोसिएट) / समनुषंगियों (सब्सिडियरीज़) का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित / अधिकार हो ।

4. समिति को यह पता चला है कि लोगों को समिति के नोडल अधिकारी-सह-सचिव की ओर से जारी किया गया तारीख 16 जून, 2022 का एक ऐसा प्राधिकार पत्र (सं. JRMLC/PACL/3442/2022) भेजा जा रहा है जिसमें कर्नाटक में स्थित पीएसीएल की संपत्तियों की बिक्री करने के लिए श्री हरविन्दर सिंह भंगू नामक किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किया गया है । उपरोक्त पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख है किः

> ***"that Mr. Harvinder Singh Bhangoo (Voter ID No. TJU9584804) will act as our official representative to deal with lands bearing follow Karnataka State..."***

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि समिति ने किसी भी व्यक्ति / एंटिटी (फिर चाहे वह श्री हरविन्दर सिंह भंगू ही क्यों न हो) को पीएसीएल लि. की संपत्तियों की बिक्री आदि करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया है, और उपरोक्त प्राधिकार पत्र में, या अब तक जो भी फैलाया जा रहा है वह सरासर झूठ है । साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई व्यक्ति / एंटिटी पीएसीएल लि. की संपत्तियों को गैरकानूनी और अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में लेने का कोई प्रयास करता है, तो ऐसे में उसके खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार कड़ी कार्रवाई की जा सकती है ।

6. उपरोक्त के मद्देनजर, आम जनता को फिर से आगाह किया जाता है कि वे पीएसीएल लि. की संपत्तियों को या उन संपत्तियों को खरीदते समय / उनमें लेनदेन करते समय सावधानी बरतें जिनमें पीएसीएल लि. या उसकी सहयोगी (एसोसिएट) कंपनियों / उसके समनुषंगियों (सब्सिडियरीज़) का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित / अधिकार हो । पीएसीएल लि. के मामले से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए समिति की ओर से जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं और प्रेस विज्ञप्तियों पर ही भरोसा करें, जो सेबी के वेबसाइट (www.sebi.gov.in) पर उपलब्ध हैं ।

मुंबई
24 जुलाई, 2022 **नोडल अधिकारी-सह-सचिव**